OA-187/2023/EZ

(11)

# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय
मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)
मो:- 09852186427

(1)

पत्रांक -

दिनांक 07.11-2023

न्यायाधिकारी
राष्ट्रीय हरित विकास प्राधिकरण
भारत सरकार, पूर्वी क्षेत्र
कोलकता, पश्चिम बंगाल।

**विषय - मां गंगा की गोद भराई मलबों से !**

आदरणीय न्यायाधीश महोदय,

प्राचीन शहर पाटलिपुत्र (वर्तमान पटना सिटी) गंगा के किनारे बसा है और एक समय में यह मौर्य राजवंश की राजधानी भी रहा है। यहीं से चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया को बौद्ध धर्म से परिचित करवाया। गंगा किनारे पटना सिटी में बने घाटों की सुन्दरता अपनी कलात्मक भव्यता इसकी प्राचीनता को भी दर्शाता है। बीते सालों में जब गंगा का जलस्तर बढ़ता था तो नौजवानों एवं शहरी लोगों में इसे देखने की आतुरता रहती थी। जो शहरी 50 के ऊपर की उम्र के हैं, वे इन घाटों पर होने वाली गंगा के बहाव का वर्णन लोगों से अपने संस्मरणों के आधार पर करने से नहीं थकते। वे युवाओं को बताते हैं कि किस प्रकार वे सपरिवार गंगा के इन पुराने घाटों पर स्नान किया करते थे। गंगा के इन बाढ़ क्षेत्रों में सरकारी सहयोग से अवैध निर्माण एवं गंगा एक्सप्रेस परियोजना के त्रुटिपूर्ण निर्माण से गंगा का पानी यहां पूरी तरह सूख गया है। जहां सालों भर पानी रहा करता था, वहां अब सिर्फ बाढ़ के समय ही गंगा के दर्शन होते हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने इतिहास और भूगोल का विस्तृत अध्ययन किये बगैर ही गुरूद्वारा को जमीन देकर गुरूद्वारा निर्माण की इजाजत देकर पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी कि सरकार ने खुद पर्यटन भवन भी बना डाला।सरकारी अवैध निर्माण का अनुसरण कर नागरिकों ने भी अवैध निर्माण कर डाला है।

गुरूद्वारा ने अलग से लंगर हाॅल, स्कूल, यात्री निवास व अन्य के निर्माण की योजना के तहत गंगा के बाढ़ क्षेत्र में मिट्टी भराई कर चिमनी घाट (कंगन घाट) से झाऊगंज घाट तक के क्षेत्र का विस्तार कर डाला है। अब चिमनी घाट से दाहिने पूरब मदरसा की ओर गंगा में गुरुद्वारों द्वारा मिट्टी व पुरानी इमारत के मलबों से अनवरत भराई की जा रही है।

Judicial
R... 10/11/23

NGT, EZB, KOLKATA
Receipt No. NGT/EZB/1602/354
Date 10/11/2023

Mr. Brijesh to put up as P.G.
Sheelam 10/11/2023 S.O.

P.T.O

# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)

मो:- 09852186427




पत्रांक :-

दिनांक ..............................

गुरूगोबिन्द सिंह महाराज के अवतरण दिवस के अवसर पर गंगा के किनारे यात्रियों के ठहराने लिए टेंट सिटी का निर्माण कर उन्हें ठहराया जाता है। उनके लिए और अन्यों के लिए लंगर भी चलता है। टेंट सिटी शौचालय युक्त होती है। लंगर का जूठन व शौचालय का मल-मूत्र गंगा की मिट्टी के साथ अन्ततोगत्वा जल में ही समाहित होता है जो जल को प्रदूषित कर आस्था को ठेस पहुंचाता है।

स्मरण हो कि पूरब से ही गंगा का जलस्तर बढ़ने पर पटना सिटी की घाटों पर गंगा पहुंचती है। इस प्रकार सुनियोजित योजनाबद्ध तरीकों से गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गंगा के आगमन को अवरुद्ध किया जा रहा है। यह बेहद चिंताजनक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में कई स्थाई निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। इस ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बाद भी यह जारी है। पटना सिटी के गाय घाट से पश्चिम जितने भी घाटों का सौन्दर्यीकरण सरकार ने करोड़ो करोड़ रुपये खर्च कर दिए लेकिन घाट किनारे गंगा का जल नदारद तो यह कैसा विकास है।इन पैसो से अगर गंगा की रुठी धारा को वापस लाने का प्रयास सरकार करती तो सोने पर सुहागा होता।

पटना जिला सुधार समिति, पटना सिटी की एक अनिबंधित सामाजिक संस्था है जो जनहित के मुद्दों की ओर प्रशासन व सरकार का ध्यान आकृष्ट सफलतापूर्वक निर्वाहन कर सफल भी हुई है। संस्था कोषविहीन रहते हुए पटना उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बीते वर्षों मे आपके कोलकता स्थित मुख्यालय भी आ चुका हूं। लेकिन धनाभाव के कारण आपकी न्यायिक प्रक्रिया निभाने में असमर्थ रहा। इस संस्था को गंगा के प्रदूषण की रक्षा के लिए सिर्फ न्यायपालिका से ही उम्मीद बनती है। न्यायपालिका को स्वयं ही संज्ञान ले इसपर जांच कर करवाई करनी चाहिए।

गंगा माँ की गोद में सरकारी सहयोग से अवैध निर्माण के विनाश लीला का दृश्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं अपनी आँखों से पिछले वर्षों में देखा है। प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा भी देखने को मिल रहा है। क्या उन्हें यह नहीं पता कि कितना बड़ा अक्षम्य अपराध उनके हाथों हुआ है! पर्यावरण के नुकसान का खामियाज़ा हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना होगा।

आपसे विनम्र आग्रह है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आदेश के आलोक में गंगा के बाढ़ क्षेत्रों में स्थाई निर्माण पर अविलंब रोक लगाने की कृपा की जाय।

P.T.O

# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)

मो:- 09852186427

(3)

पत्रांक :-

दिनांक ................................

धन्यवाद!

विश्वासभजन

(राकेश कपूर)

महासचिव

नोट-संबंधित तस्वीर व अखबारों की कटिंग की छाया प्रति के साथ साथ आपके व अन्य संबंधित विभागो में किए गये पत्राचार की प्रति के साथ (22) 22

पन्ना संलग्न कर रहा हूँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ व अवलोकनार्थ

श्री मान् मुख्य न्यायाधीश

पटना उच्च न्यायालय, पटना।

श्री मान् भारत के मुख्य न्यायाधीश

उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली

P.T.O

# पटना जिला सुधार समिति
## प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय
मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)
मो:- 09852186427


(4)

पत्रांक :- दिनांक ...............................

अनुलग्नक की सम्पूर्ण सूची संलग्न:-

1-गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गुरूद्वारों के मलवों से गंगा में मिट्टी भराई की तस्वीरें ।(कुल पृष्ठ संख्या-2) ।

2-माननीय पटना उच्च न्यायालय का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जाने के निर्देश की छाया प्रति।(कुल पृष्ठ संख्या-2) ।

3-जिलाधिकारी, सारण एवं पटना को लिखे गये पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की छाया प्रति ।(कुल पृष्ठ संख्या-2) ।

4-जिलाधिकारी, सारण को गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किए जा रहे पक्के निर्माण पर रोक लगाने के संबंध लिखे पत्र की छाया प्रति और संबंधित तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छाया प्रति।(कुल पृष्ठ संख्या-6)।

5-राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता को गंगा प्रदूषण के संबंध में लिखे गये पत्र और इससे संबंधित तस्वीरों के साथ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की छाया प्रति।(कुल पृष्ठ संख्या-4 )।

6-अनुमंडल पदाधिकारी ,पटना सिटी को चिमनी घाट (कंगन घाट)पर बाढ़ग्रस्त क्षत्रों में किए जारहे स्थाई निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध पत्र के साथ राष्ट्रीय समाचार पत्रों में संबंधित प्रकाशित समाचार की छाया प्रति।(कुल पृष्ठ संख्या-4)।

7-माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना और उच्चतम न्यायालय, भारत को चिमनी घाट (कंगन घाट) पटना सिटी में गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों पर स्थाई निर्माण पर रोक लगाने के लिए लिखे गए अनुरोध पत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की छाया प्रति।(कुल पृष्ठ संख्या -2 )।

07/11/2023

(राकेश कपूर)

महासचिव

निवास-हरमिंदर गली,चौक ,पटना सिटी, पटना-800008

पिपली घाट (कंगन घाट) से दाहिने मदरसा की ओर गुरुद्वारा के नालों से गंदा आदि

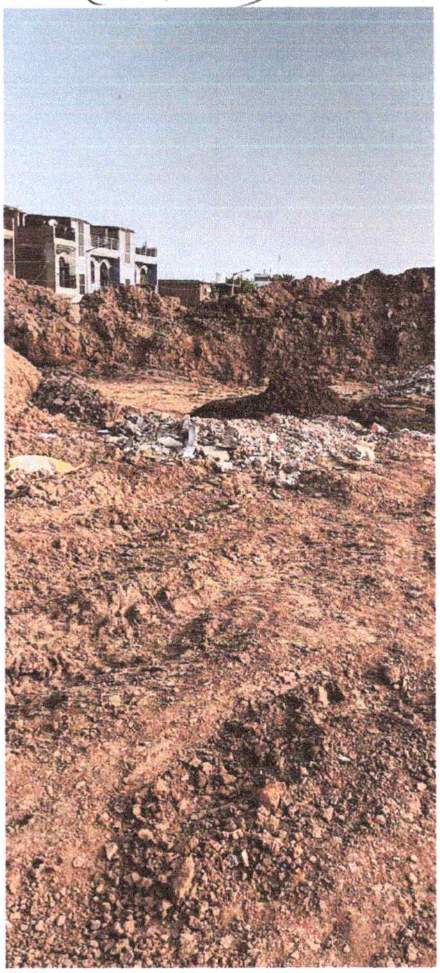

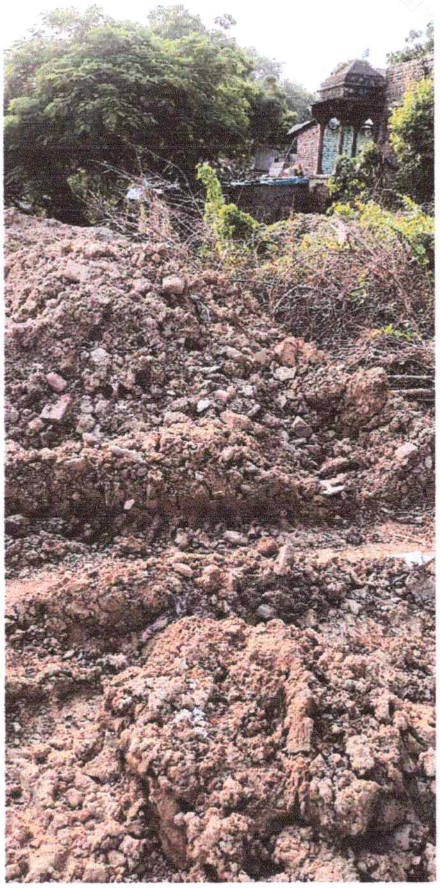

सभी मलबा गुरुद्वारा का गंदा में

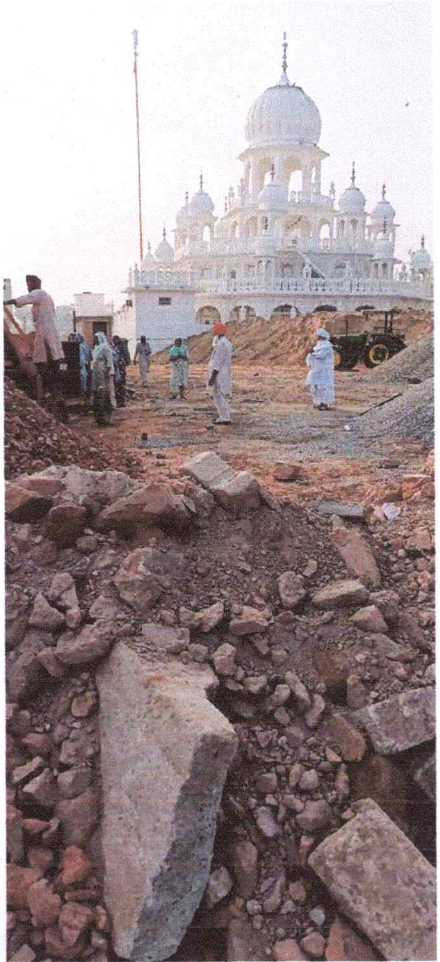

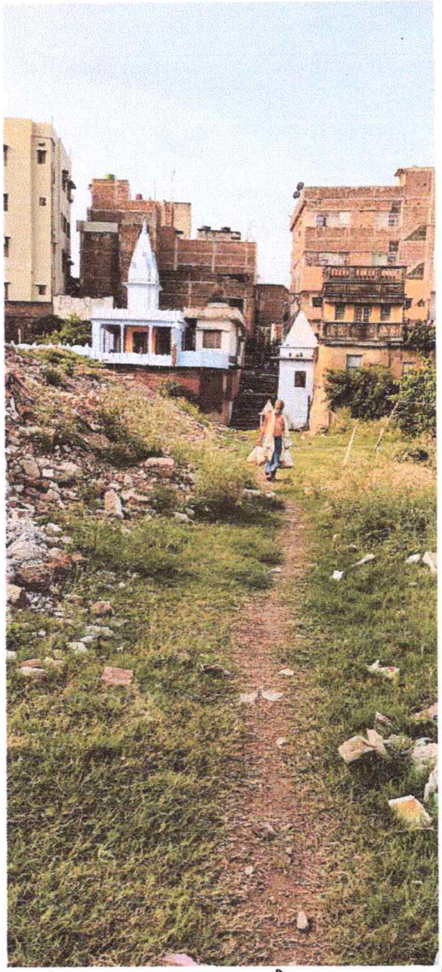

ਗੁਰਤੇਗ ਘਾਟ ਦੇ ਦਾਹਿਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਾਟ ਕੀ ਓਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇ ਆਸਪਾਸ ਸੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ
ਕੀ ਸਫਾਈ

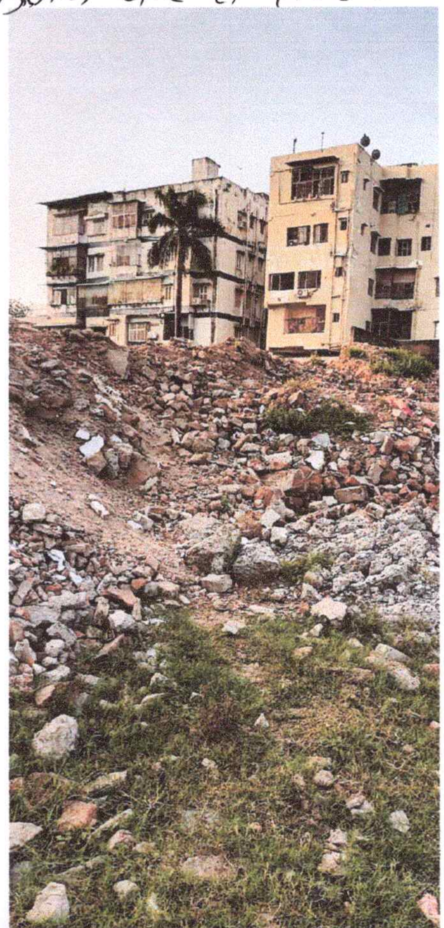

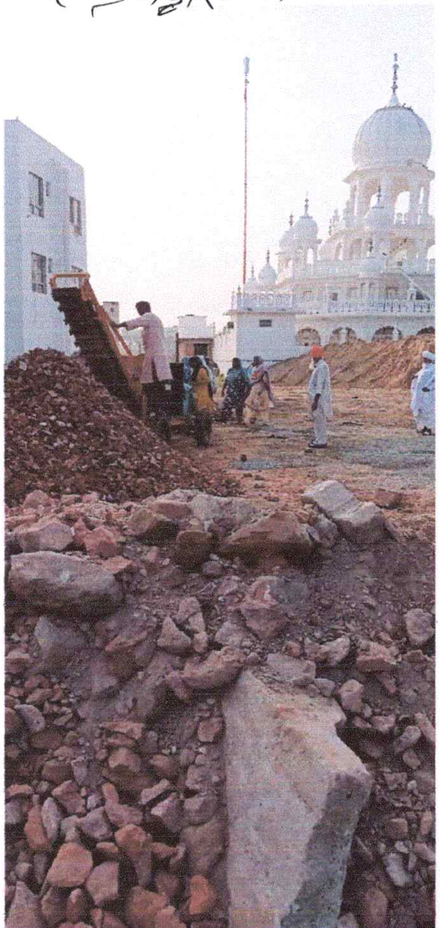

ਸਭੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਮੇਂ ਲਗੀ

[illegible]

# IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

**Civil Writ Jurisdiction Case No.12888 of 2017**

======================================================

Patna Zila Sudhar Sammittee Through Its General Secretary, Rakesh Kapoor S/o Lt. R.P. Khatri, Resident of Harimandir Gali, P.S. Chowk, Patna City, District Patna.

.... .... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna.
2. The Secretary, Art, Culture & Youth, Govt. of Bihar, Patna.
3. The Commissioner, Patna Division, Patna.
4. The Secretary, Deptt. of Tourism, Govt. of Bihar, Patna.
5. The Commissioner, Patna Municipal Corporation, Patna.
6. The District Magistrate, Patna.
7. The District Magistrate, Saran.
8. The District Magistrate, Vaishali at Hajipur.
9. The Sub Divisional Officer, Patna City.
10. The D.C.L.R., Patna.
11. The Circle Officer, Patna, Sadar.
12. The Circle Officer, Saran
13. The Block Development Officer, Patna City.

.... .... Respondent/s

======================================================

**Appearance :**
For the Petitioner/s : Mr. Sanjay Kumar, Advocate
For the Respondent/s : Mr. Sarvesh Kumar Singh, AAG-13

======================================================

**CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE**
**and**
**HONOURABLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR UPADHYAY**

ORAL JUDGMENT
**(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)**
**Date: 14-11-2017**

Apart from the fact that the issue involved in this writ petition is cognizable by the National Green Tribunal, we find that the petitioner himself does not have any *locus standi* to raise the issue in the PIL. Neither the petitioner is a registered society nor body or individual which can invoke the jurisdiction of this Court under Article 226 of the Constitution. Cumulatively taking note of all these

factors, we are not inclined to interfere into the matter.

The petition is dismissed with liberty to the aggrieved person to take recourse of the remedy permissible under the law.

Sd/- **(Rajendra Menon, CJ)**

Sd/- **(Anil Kumar Upadhyay, J)**

Uday/-

| | |
|---|---|
| AFR/NAFR | NAFR |
| CAV DATE | NA |
| Uploading Date | 17.11.2017 |
| Transmission Date | NA |

PATNA HC

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date of Requisition | 23-11-2017 | Date of Delivery | 23-11-2017 | Date of uploading on website. | 17-11-2017 |
| Number of Pages | | 2 | Total Cost(Rs.) | | 10\- |

CERTIFIED TO BE TRUE COPY
23.11.17
DEPUTY REGISTRAR
COPYING (COMPUTER) DEPARTMENT
PATNA HIGH COURT
"authorized under Section 76 of Act 1 of 1872"

Annexure-5

(9)


# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)

मोः- 09852186427


पत्रांक :-

दिनांक 07.06.2017

सेवा में,

दिनांक–07.06.2017

1. जिलाधिकारी

   सारण, बिहार।

2. जिलाधिकारी

   पटना, बिहार।

विषयः– सरकार द्वारा गुरूद्वारा पटना साहिब को कंगन घाट गुरूद्वारा निमार्ण हेतू चिमनीघाट पटना सिटी में स्थानान्तरित की गई जमीन के संबंध में।

मान्यवर,

स्थानान्तरित की गई जमीन कितनी गुरुद्वारा को दी गई वह सरकार और सिर्फ गुरूद्वारा जानती है और उसपर निमार्ण कार्य चल रहा है, पटना सिटी के नागरिक भी जानना चाहते है कि सही रूप में जमीन गुरूद्वारा को कितनी दी गई है, उसे चिन्हित कर स्थाई रूप से दर्शाया जाए ताकि लोगों को नजर आये।

पटना जिला अन्तगर्त अगर वहॉ पर जमीन दी गई है तो उसे भी दर्शाया जाये स्थाई निशान के साथ।

कष्ट के लिए क्षमा करेगें।

भवदीय

Rakesh 07/06/2017

(राकेश कपूर)

महा सचिव

निवास– हरि मंदिर गली

चौक पटना सिटी।

भारतीय डाक
India Post

SP PATNA CITY <800008>
EF053507576IN
Counter No:1,OP-Code:UEER
To:D.M SARAN,
CHHAPRA, PIN:841301
From:RAKESH KOOPAR , P.T.C
Wt:10grams,
Amt:17.00 ,07/06/2017 ,15:37
Taxes:Rs.2.05<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post

SP PATNA CITY <800008>
EF053507573IN
Counter No:1,OP-Code:UEER
To:D.M P, PATNA,
PATNA, PIN:800001
From:RAKESH KOOPAR , P.T.C
Wt:10grams,
Amt:17.00 ,07/06/2017 ,15:38
Taxes:Rs.2.05<Track on www.indiapost.gov.in>

Annexure-3

10

# प्रकाशोत्सव में आकर्षण का केंद्र होगा कंगन घाट

7/6/17

**जागरण संवाददाता, पटना सिटी :** इसी वर्ष 23, 24 एवं 25 दिसंबर को दशमेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 351 वां प्रकाशोत्सव तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब व कंगन घाट में मनाया जाएगा। बिहार सरकार के सहयोग से इस आयोजन को भी 350वें जन्मोत्सव की तरह ऐतिहासिक बनाने के लिए तख्त श्री हरिमंदिर जी प्रबंधक समिति जुट गए हैं।

प्रबंधक समिति के महासचिव सरदार सरजिंद्र सिंह ने सोमवार को बताया 351 प्रकाश पर्व के पूर्व कंगन घाट देश-विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केन्द्र होगा। इसकी तैयारियों को लेकर कंगन घाट में गुरुद्वारा निर्माण, पर्यटक सुविधा केंद्र तथा घाट निर्माण कार्य जारी है। इस प्रकाशपर्व में देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होगी। पिछले गुरुपर्व की तरह इस बार भी स्थानीय संगतों की भी भीड़ उमड़ेगी। प्रबंधक समिति को उम्मीद है कि गुरुपर्व के दौरान पांच लाख से अधिक सिख श्रद्धालु तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब पहुंचेंगे।

**कंगन घाट में बन रहा कंगन के आकार का गुरुद्वारा :** कंगन घाट में पांच हजार वर्गफुट में कंगन के आकार का 80 फीट ऊंचा कंगन घाट गुरुद्वारा 351 वें प्रकाश पर्व के पूर्व बनकर तैयार हो जाएगा। सचखंडवासी बाबा हरवंश सिंह दिल्ली वाले के कारसेवक बाबा गुरदेव सिंह ने बताया कि चालीस फीट की पाइलिंग कर बालू भरकर जमीन से आठ फीट सतह ऊंचा किया चुका है। आठ फीट सीढ़ी के बाद गुरुद्वारा निर्माण प्रारंभ होगा।

बारिश के समय गुरुद्वारा में आने के लिए विशेष मार्ग बनाया जाएगा। समाजसेवी मनोहर सिंह बग्गा ने बताया कि इसी कंगन घाट से दश्मेश गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचपन में अपने सोने का कंगन गंगा में फेंका था।

## आयोजन

- 25 दिसंबर को मनाया जाएगा 351 वां प्रकाशोत्सव
- देश-विदेश से पांच लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

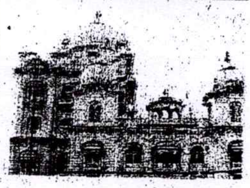

### पर्यटक सुविधा केंद्र में मिलेंगी सुविधाएं

कंगन घाट किनारे 9.30 करोड़ की लागत से 1.95 एकड में जी प्लस टू में पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र में 20 अत्याधुनिक कमरे के अलावा संगत हॉल का भी निर्माण होगा। केन्द्र का निर्माण 350 वें गुरुपर्व में प्रारंभ किया गया। कच्छप गति से हो रहे काम के कारण अभी ग्राउंड फ्लोर में काम जारी है।

### खूबसूरत घाट का हो रहा निर्माण

कंगन घाट से गंगा घाट जाने वाले मार्ग को 3.71 करोड़ की लागत से खूबसूरत बनाया गया। मार्ग में ग्रेनाइट पत्थर बिछाकर रोशनी की भी व्यवस्था की गई। कुछ स्थानीय लोगों ने मार्ग के ग्रेनाइट पत्थर को उखाड़ घरों में लगा लिया था। चौक पुलिस ने कार्रवाई कर ग्रेनाइट बरामद कर आरोपित को जेल भेजा। गंगा तट पर कंगन घाट को 40 फीट लंबा तथा 100 फीट चौड़ा बनाया जा रहा है।

Annex - 8

21

(11)


# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)

मोः- 09852186427


पत्रांक :-

दिनांक 27.06.2017

सेवामें,

श्रीमान ज़िलाधिकारी महोदय,
सारण, बिहार

विषय: गंगा किनारे काँक्रीट की भव्य इमारत के निर्माण पर रोक लगाने हेतु।

मान्यवर,

सेवा में सविनय निवेदन है किमैं पटना सिटी का सामाजिक कार्यकर्ता व निवासी हूँ। विदित हो कि गंगा के तट पर चिमनी घाट, झाऊगंज, चौक पटना सिटी में एक और गुरुद्वारा का निर्माण कार्य चल रहा है। यह हमारे समझ से परे है कि एक तरफ़ मानयनीय उच्च न्यायालय जनहित याचिका में गंगा के तट पर किसी भी प्रकार का निर्माण (भवन) पर रोक लगा रखी है, दूसरी ओर न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर काँक्रीट का निर्माण किया जा रहा है।यह कार्य किसके आदेश से किया जा रहा है? इसकी अनुमति देना न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी।

बिहार व उड़ीसा का सरकारी गज़ेट (दस्तावेज़) से पता चलता है कि यह घाट मुग़ल घराना की रानी मल्लिका बानो की रिश्तेदार व नवाब सिराजूदौला के वंशज़ों में एक महिला चिमनी बेगम के नाम पर है, जो यहाँ रह कर इस घाट का उपयोग करती थी।

# पटना जिला सुधार समिति

प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय
मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार)
मोः- 09852186427

पत्रांक :-

दिनांक ..............................

सभी नियमों को दरकीनार कर भवन निर्माण की अनुमति देना ग़ैर क़ानूनी है, इस पर अतिशीघ्रहरोक लगाई जाए अन्यथा बाध्य होकर मुझे न्यायालय की शरण में जाना होगा।

आपका विश्वासी,

राकेश कपूर 27/06/2017

(राकेश कपूर)
महासचिव, पटना ज़िला सुधार समिति
निवास: हरिमंदिर गली, चौक
पटना सिटी - ८०००८

प्रतिलिपि - शूचनार्थ प्रेषितः-
ज़िलाधिकारी, पटना
आयुक्त, पटना नगर निगम

भारतीय डाक
India Post

SP SKNAGAR <560092>
EK373044535IN
Counter No:1,OP-Code:KAL
To:DISTRICT MAGISTRATE,
chapra, PIN:841301
From:RAKESH KAPOOR , BG
Wt:20grams,
Amt:40.00 ,27/06/2017 ,14:58
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post

SP SKNAGAR <560092>
EK373044439IN
Counter No:1,OP-Code:KAL
To:COMMISIONER PATNA,
PATNA, PIN:800001
From:RAKESH KAPOOR , BG
Wt:20grams,
Amt:40.00 ,27/06/2017 ,14:59
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov.in>

भारतीय डाक
India Post

SP SKNAGAR <560092>
EK373044544IN
Counter No:1,OP-Code:KAL
To:DISTRICT MAGISTRATIR,
PATNA, PIN:800001
From:RAKESH KAPOOR , BG
Wt:20grams,
Amt:40.00 ,27/06/2017 ,15:00
Taxes:Rs.5.00<Track on www.indiapost.gov.in

अनुलग्नक –



चिमनी घाट पर हरिमंदिर गली निकट ठेकेदारों के मलबे से भरकर घाट के निर्माण कार्य की तस्वीर।

अनुलग्नक–

सिसईघाट पर बनाई गये सुविधाएं व पर्यटन भवन के चित्र

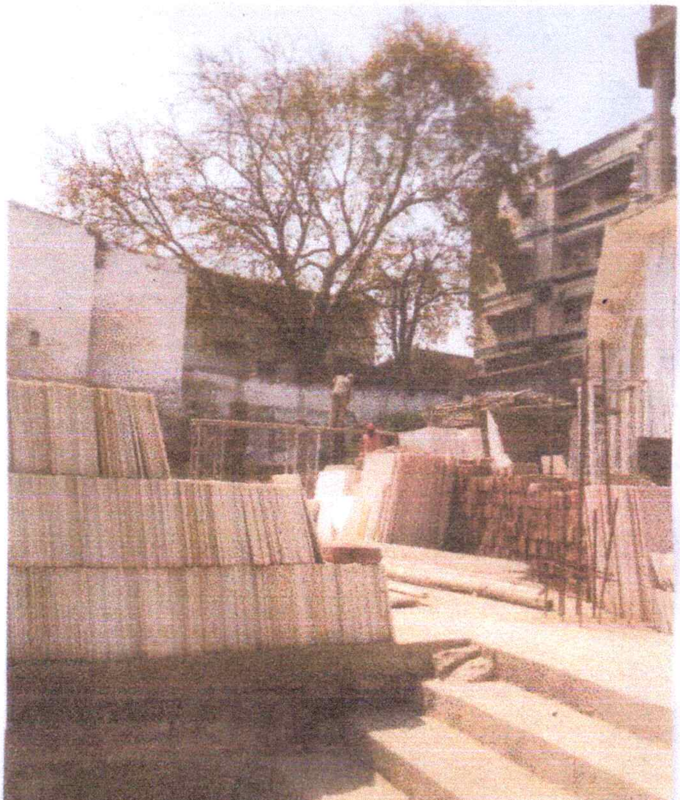

अनुलग्नक -

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कलकत्ता को भेजा गया पत्र दिनांक -18.12.20

भारतीय डाक
India Post

SP PATNA CITY <800008>
GSTN No: APPLIEDFOR12345
EE144578425IN
Counter No:1,OP-Code:USER
To:THE PRESIDING OFFICE,NATIONALGREEN TRIBU
KOLKATA, PIN:700157
From:RAKESH KAPOOR , PT CITY
Wt:258grams, ,18/12/2017 ,14:22
Amt:71.00
,CGST @9% 5.5 ,SGST @9%: 5.5
<<Ti

राकेश कपूर

आज
सोमवार, ७ मई, २०१८

16

# कंगनघाट पर पंजाब भवन निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण

## प्राधिकार के निर्देश पर जिला प्रशासन सतर्क

**पटना सिटी ( आससे )**। गंगा तट पर सरकार से शताब्दी समारोह के आड़ में 10 एकड़ जमीन लीज लेकर कंगनघाट गुरूद्वारा के स्थायी निर्माण के बाद अब पंजाब भवन के लिए जिला प्रशासन की टीम ने रविवार को कंगनघाट पर स्थल निरीक्षण किया। इस मौके पर अनुमंडलाधिकारी राजेश रौशन ने बताया कि इससे पहले भी स्थल चिहिन्त करने के लिए जिलाधिकारी कुमार रवि, एडीएम बैजुउद्वीन अंसारी, राधोपुर के अंचलाधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया था। बताया जाता हैं कि जिला प्रशासन की टीम गंगा तट से दो सौ मीटर की दूरी पर न्यायालय व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का निर्देश पर किसी भी निर्माण को अवैध मानते हुए पंजाब भवन ( पयर्टन सूचना केन्द्र) की जमीन चिन्हित करने पर सतकर्ता से कार्य कर रही हैं साथ ही शुक्रराना समारोह में घुड़दौड़ स्थल भी दो मीटर के दायरे में हैं। इससे पहले जिलाधिकारी कुमार रवि, एडीएम, पर्यटन विभाग की टीम ने कंगनघाट में स्थल निरीक्षण के बाद तख्त साहेब में मत्था टेका। बाद में कमेटी के लोगों के साथ विचार-विमर्श किया।

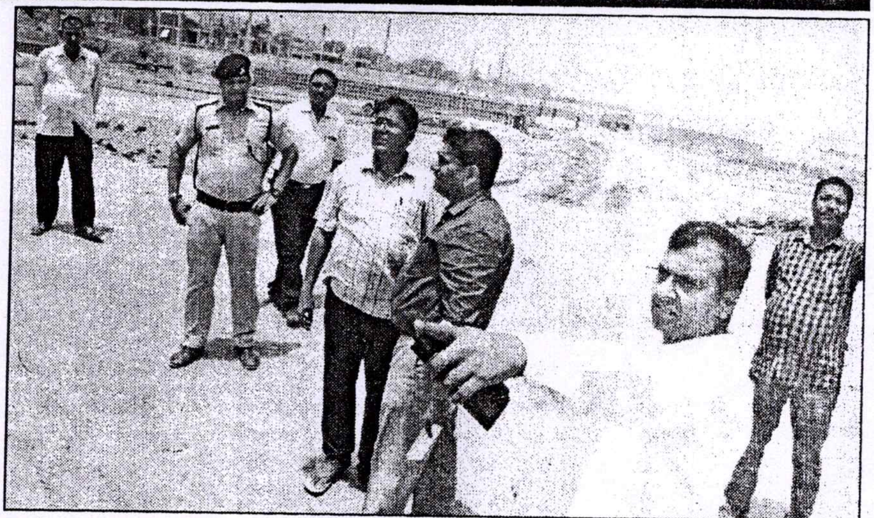

## हरियारी समाप्त करने पर प्राधिकार के यहां याचिका दायर

**पटना सिटी ( आससे )**। प्राचीन चिमनी घाट का नाम बदलकर कंगनघाट करने,कंगनघाट पर राज्य सरकार की ओर से शताब्दी समारोह के दौरान गंगा तट की जमीन 10 एकड़ लीज पर देकर स्थायी गुरूद्वारा का निर्माण व पंजाब भवन बनाने,गंगा तट से दो सौ मीटर तक निर्माण के नाम पर हरियारी समाप्त होने एवं गंगा नदी को प्रदूषित करने को लेकर पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने बीते दिनों पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रूक्यूनेल) के यहां याचिका दायर की हैं। इस संबंध में श्री कपूर ने बताया कि प्राधिकार ने याचिका को स्वीकार कर आदेश सुरक्षित रखा हैं। उन्होंने कहा कि गंगा तट पर निर्धारित जगह को निर्माण के लिए देना गलत हैं। बहराल फैसला के बाद अफरा-तफरी फैलने की सम्भावना हैं।

दैनिक भास्कर, पटना, सोमवार, 07 मई, 2018

# कंगन घाट भवन के लिए बदला जाएगा स्थान

## डीएम ने स्थल निरीक्षण कर लिया जायजा, आज से जमीन की मापी का काम होगा शुरू

सिटी रिपोर्टर | पटना सिटी

कंगन घाट पर जिस जगह भवन निर्माण प्रस्तावित हुआ था, उस स्थान का परिवर्तन होगा। नए स्थान के चयन के लिए रविवार को डीएम कुमार रवि ने अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। कंगन घाट को सौंदर्यीकरण योजना से जोड़ा गया है।

इसी योजना के तहत यहां पर कंगन घाट भवन भी प्रस्तावित है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने अवगत कराया है कि प्रस्तावित स्थल पर अस्थायी संरचना का निर्माण संभव है। इस कारण भवन निर्माण के लिए स्थल परिवर्तन की आवश्यकता है। भवन निर्माण के लिए संबंधित विभाग को एक एकड़ भूमि की जरूरत है। इस मसले को लेकर डीएम कुमार रवि, एडीएम बैजुउद्दीन अंसारी, एसडीओ रौशन रौशन, राघोपुर के अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शुकराना समारोह के दौरान जहां पर घुड़दौड़ हुई थी वहां भी स्थल निरीक्षण किया। इससे पहले डीएम तख्त साहिब पहुंचे और मत्था टेका। महासचिव सरदार सरजिंदर सिंह ने तख्त साहिब में चल रहे विकास कार्यों व कंगन घाट पर प्रस्तावित योजना पर चर्चा की। एसडीओ ने बताया कि निर्माण योजना को लेकर सोमवार को मापी कराई जाएगी।

अधिकारियों के साथ जायजा लेते डीएम कुमार रवि व अन्य।

### कार्रवाई की मांग

इधर पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर की ओर से राष्ट्रीय हरित प्राधिकार में आवेदन देकर चिमनी घाट में निर्माण कार्य से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ने इस मामले में संज्ञान लिया है।

सेवा में,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण
पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता
बिषय-बिहार सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषित करने के संबंध में।

मान्यवर,

पटना सिटी के झाऊगंज, चौक स्थित चिमनी घाट (कगंन घाट)पर गंगा किनारे श्री गुरूनानक देव जी की 550वीं बर्ष गांठ पर अन्य शहरों से आने वाले यात्रियों को ठहराने के लिए टेंट व कॉटेज का निर्माण पटना जिला प्रशासन ने किया है।

उल्लेखनीय है कि इस प्रकार की टेंट सिटी का निर्माण इन्हीं घाटों पर गंगा किनारे पिछले तीन बर्षो से लगातार किया जा रहा है।

यह व्यवस्था पांच से दस हजार यात्रियों के ठहराने के लिए की जाती है। इन सभी यात्रियों का मल-मूत्र सारा कुछ गंगा की मिट्टी में हीं प्रवाहित होता है। और तो और इन यात्रियों के खाने के लिए लंगर भी चलता है। जूठा बर्तन का पानी व जूठन भी गंगा की मिट्टी में हीं प्रवाहित किया जाता है।

इससे गंगा अपनामित होंने के साथ-साथ प्रदूषित भी हो रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव व पटना के आयुक्त को निर्देशित कर गंगा को प्रदूषित होने से बचाने की कृपा करें।

राकेश कपूर 18/12/2019
( राकेश कपूर )
महासचिव
पटना जिला सुधार समिति
निवास-हरमिंदर गली, चौक, पटना सिटी
पटना-800008 / Mo. – 9852186427

यह चिमनी घाट (कंगन घाट)की टेंट सिटी)2018 है।

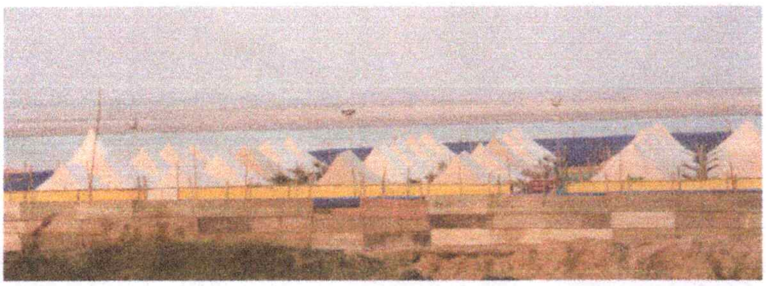

अनुलग्नक -

टेन्ट सिटी निषाद घाट (संगम घाट) प्रयाग मेला - जनवरी 2020

टेन्ट सिटी के प्रदूषित पानी को जान-बूझ कर नदी गंगा में प्रवाहित किया जाता।
तस्वीर

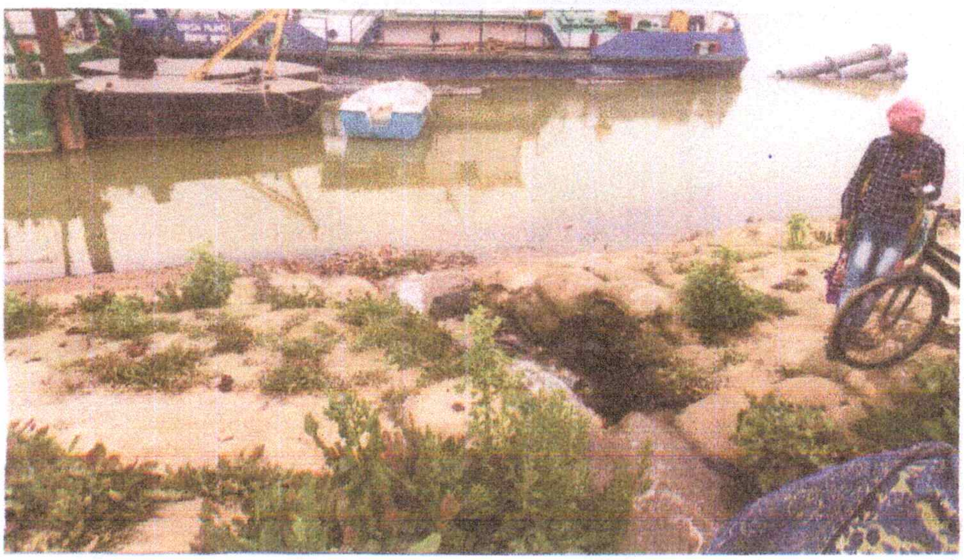

(19)

पटना। बृहस्पतिवार • 19 दिसम्बर • 2019

राष्ट्रीय सहारा

## गंगा को प्रदूषित होने से बचाने की गुहार

पटना सिटी। पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने जिला प्रशासन द्वारा प्रकाश पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं के मद्देनजर गंगा किनारे टेंट सिटी बनाये जाने से गंगा नदी के प्रदूषित होने का आरोप लगाया है। श्री कपूर ने इस संबंध में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को पत्र लिखकर गंगा को प्रदूषित होने वे बचाने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि यात्रियों के आने से मल-मूत्र व लंगर आदि की गंदगी गंगा की मिट्टी में मिलती है, जो अपरोक्ष रुप में गंगा में ही समाहित हो जाती है। इससे जहां गंगा अपमानित हो रही है, वहीं प्रदूषण का भी खतरा बढ़ गया है।

देशप्राण स्वतंत्र हिन्दी दैनिक

बृहस्पतिवार
रांची, 19 दिसंबर, 2019

चिंता

### पटना जिला सुधार समिति ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भेजा पत्र

# टेंटसिटी से निकलने वाली गंदगी से मैली हो रही गंगा

देशप्राण संवाददाता

**पटना सिटी, 18 दिसंबर।** श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व मनाए जाने के दौरान केंद्र और बिहार सरकार ने खासा व्यवस्था किया था। तब कंगन घाट और एनएच 30 के बाइपास थाना के दखिण की ओर टेंटसिटी बनाया गया था। इसके बाद दो साल और दशमेश पिता के प्रकाश पर्व में टेंटसिटी कंगन घाट के किनारे बनाया गया। इस बार भी गुरु नानकदेव जी के 550वां प्रकाश पर्व राजगीर के शीतल कुंड गुरुद्वारा में 27 से 29 दिसंबर को और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व 32 से दो जनवरी को मनाया जाना है। दोनों प्रकाश पर्व को लेकर इस बार फिर

### हरित प्राधिकरण को भेजा शिकायत पत्र

इसे लेकर पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पूर्वी क्षेत्र पीठ कोलकाता को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि चौक थाना क्षेत्र के चिमनी घाट (कंगन घाट) किनारे दो सिख गुरु के प्रकाश पर्व मनाए जाने को लेकर आने वाले यात्रियों को ठहराने के लिए टेंटसिटी का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार सरकार के निदेश पर पर्यटन विभाग के साथ वैशाली और पटना जिला प्रशासन के द्वारा यह काम कराया जा रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों से गंगा किनारे टेंटसिटी का निर्माण कराया जा रहा है। यहां ठहरने वाले यात्रियों का मल-मूत्र एवं गंदगी सब गंगा की मिट्टी एवं गंगा में प्रवाहित हो रहा है। यहां लंगर चलने से जूठा बर्तन का पानी और जूठन भी गंगा की मिट्टी में प्रवाहित किया जाता है। इससे गंगा अपमानित होने के साथ ही प्रदूषित भी हो रही है। प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि बिहार सरकार के मुख्य सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त को निदेशित कर गंगा को प्रदूषित होने से बचाने की बात कही गई है।

कंगन घाट में टेंटसिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें पांच हजार लोगों के ठहराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। इसमें स्पेशल कॉटेज का भी निर्माण किया जा रहा है। यहां दो बड़ा लंगर चलेगा।

दैनिक समाचार-पत्र की छायाप्रति

(20)

आज
पटना
मंगलवार, ७ जनवरी, २०२०

# खट्टी-मीठी यादें छोड़ गयी कंगनघाट पर बनी टेंट सिटी

## हजारों- गैलन गंगा में गिराया गया गंदा पानी व जूठा

पटना सिटी ( आससे )। गुरू गोविन्द्र सिंह महाराज के 353वें व गुरू नानक देव जी महाराज के 550 वें प्रकाशोत्सव पर राज्य सरकार की ओर से देश-विदेश से आने वाले संगतों के लिए बनायी गयी। कंगनघाट पर टेंट सिटी पटना साहिबवासियों के लिए खट्टी-मीठी यादें छोड़ गयी। बताया जाता हैं कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर भाई मोदी पावन गंगा को प्रदूषित मुक्त बनाने के लिए 'नमामी गंगे प्रोजेक्ट' की शुरूआत कर गंगा को साफ करने के लिए एडी-चोटी एक कर दिया हैं वहीं राज्य सरकार द्वारा गंगा तट पर प्रकाशोत्सव पर बनायी गयी टेंट सिटी से हर दिन हजारों-हजार गैंलन शौचालय, पेशाब खाना एवं टेंट सिटी के गंदा पानी निर्मल गंगा में बेरोक-टोक प्रवाहित की गयी। हालांकि जिला प्रशासन व टेंट सिटी निर्माण करने वाली कंपनी के प्रोजेक्ट प्रबंधक सलीम खान ने बताया कि साढ़े तीन करोड़ की लागत से 5 हजार संगतों के लिए 20 लग्जरी, 24 डोरमेटी, वीआईपी, ई. पी टेट में बने अस्थायी शौचालय, पेशाब खाना व टेंट सिटी से निकलने वाली गंदगी व जुठे को

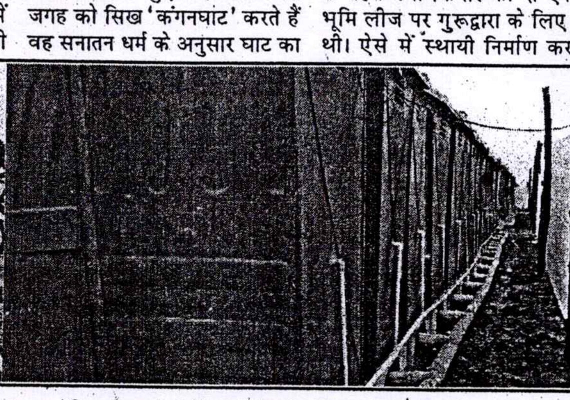

खेतों में गड्डा बनाकर बाहर फेंकने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन सारे दाबे झूठे साबित हुयी हैं लगातर तीन सालों से बनने वाली टेंट सिटी में ऐसा ही नजरा दिखने को मिलती हैं। इस संबंध में पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर का कहना हैं कि इस बारे में बीते 18 दिसंबर 2019 को कोलकता के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पूर्वी क्षेत्र पीठ को टेंट सिटी से निकले वाली गंदा पानी पावन गंगा में बहाने की आशंका व्यक्त की गयी। जिसमें प्राधिकारण ने राज्य सरकार को आगाह भी किया था लेकिन सरकार संगतों (सिखों) की सेवा के भावोंवेश में इतना मगन हो गयी कि एक धर्म की सेवा के बदले दूसरे घर्म के आस्था को भुतला दिया। ऐसे में यह कहा जा सकता हैं कि राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' की तर्ज पर राज्य सरकार 'राम तेरी गंगा मैली हो गयी, सिखों की खातिरदारी' शब्द से कम नहीं हैं। श्री कपूर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस जगह को सिख 'कंगनघाट' करते हैं वह सनातन धर्म के अनुसार घाट का नाम 'चिमनीघाट' वर्षों-वर्ष से थी और जिस जगह पर कंगनघाट गुरूद्वारा का निर्माण किया गया वह राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण पूर्वी क्षेत्र पीठ कोलकता के एक निर्णय के अनुसार गंगा की धारा के किनारे बसे शहर के दो सौ मीटर के परिधि में कंगनघाट गुरूद्वारा व पयर्टन सूचना केन्द्र आती हैं। श्री कपूर ने बताया कि ऐसे में पूर्व राज्यपाल सरदार बूटा सिंह ने अपने अधिकार के तहत गंगा किनारे की दो एक[illegible] भूमि लीज पर गुरूद्वारा के लिए [illegible] थी। ऐसे में स्थायी निर्माण कर[illegible] नियम के विपरित हैं। दूसरी ओर टें[illegible] सिटी के काउंटर प्रभारी अमरना[illegible] कुमार ने बताया कि प्रकाशपर्व [illegible] जनवरी 2020 तक टेंट सिटी में आ[illegible] रिकॉड 6297 संगत आये और गए।

बहरहाल जहाँ एक धर्म के लि[illegible] राज्य सरकार लगातार [illegible] वर्षो स[illegible] करोड़ों-करोड़ रुपया पानी की तरह बहा रही हैं। वहीं [illegible] धर्म क[illegible] आस्था के साथ खिलवाड़ किया ज[illegible] रहा हैं।

# पटना जिला सुधार समिति

**प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय :**

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी-800 008 (बिहार), मोः09852186427

**राकेश कपूर**
महासचिव

**निवास : हरिमंदिर गली, चौक**
**पटना सिटी, पटना-800008**


सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी

पटना सिटी, पटना।

विषय- गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा स्थायी निर्माण के लिए कल दिनांक 24 फरवरी, 2021 को किए जाने वाले शिलान्यास के रोक की मांग।

मान्यवर,

पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक पटना सिटी के नौजर घाट से लेकर नुरूद्दीगंज घाट तक गंगा के इस बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना पर उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

उच्चतम न्यायालय के इस आदेश और इस समाचार के सूचना के बाद भी चिमनी घाट के तट पर स्थापित गुरूद्वारा के प्रबंधकों द्वारा इसके परिसर के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए कल दिनांक 24 फरवरी 2021 को शिलान्यास किया जा रहा है।

यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो है ही साथ ही गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। गुरुद्वारा प्रबंधकों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए था।

आपसे विनम्र आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इस शिलान्यास पर अविलंब रोक लगाने की कृपा की जाय।

धन्यवाद!

विश्वासभाजन

राकेश कपूर 23/02/2021

(राकेश कपूर)

महासचिव

पटना। बुधवार • 24 फरवरी • 2021
राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.c

# शिलान्यास पर रोक लगाने के लिए एसडीओ को ज्ञापन

पटना सिटी (एसएनबी)। पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा स्थायी निर्माण के लिए 24 फरवरी, 2021 को किए जाने वाले शिलान्यास पर रोक लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन को ज्ञापन सौंपा है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक पटना सिटी के नौजर घाट से लेकर नुरूद्दीगंज घाट तक गंगा के इस बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण की अशोक कुमार सिन्हा की जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश और इस समाचार के सूचना के बाद भी चिमनी घाट के तट पर स्थापित गुरूद्वारा के प्रबंधकों द्वारा इसके परिसर के बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना को मूर्त रूप देने के लिए 24 फरवरी 2021 को शिलान्यास किया जा रहा है। सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो है ही साथ ही गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। गुरुद्वारा प्रबंधकों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए था। अनुमंडल पदाधिकारी से उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में इस शिलान्यास पर अविलंब रोक लगाने का अनुरोध किया है। एसडीओ ने इसे सारण जिला का क्षेत्र बताते हुए वहां के डीएम को पत्र अग्रसरित करने की बात कही।

पटना
बुधवार, २४ फरवरी, २०२१ आज

# शिलान्यास पर रोक के लिए सुधार समिति ने एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

पटना सिटी (आससे)। पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने चिमनीघाट गुरूद्वारा के सटे खाली जमीन पर बुधवार को होने वाले एक धर्म विशेष के शिलान्यास पर रोक के लिए अनुमंडलाधिकारी मुकेश रंजन को एक ज्ञापन सौंपा हैं।

ज्ञापन के संबंध में श्री कपूर ने कहा कि जिस जगह पर एक धर्म विशेष के द्वारा रिहायस कमरा व स्कूल निर्माण की नींव रखी जा रही हैं वह जमीन गंगा किनारे बाढ़ का क्षेत्र हैं ऐसे में सिटी के रहने वाले अशोक कुमार सिन्हा ने नौजरघाट से नूरउद्दीन गंज घाट तक अवैद्य निर्माण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। जिसकी सुनवाई पर सर्वोच्च न्यायालय में होने पर न्यायालय ने भारत सरकार को नोटस भेजा हैं इसी दौरान एक धर्म के लोग मिलकर स्थायी निर्माण की नीव रखने जा रही हैं।

दूसरी ओर अनुमंडलाधिकारी ने ज्ञापन के संबंध में कहा कि लिखित शिकायत सारण विभाग को भेज दिया गया हैं। बहराल शिलान्यास की घोषणा से तनातनी बनी हुयी हैं।

हिन्दुस्तान पटना • बुधवार • 24 फरवरी 2021

## ज्ञापन सौंपा

**पटना सिटी।** चिमनी घाट पर बुधवार को होनेवाले शिलान्यास कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। महासचिव राकेश कपूर ने कहा कि गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी खतरा है। उन्होंने एसडीओ से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। वहीं एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि यह क्षेत्र सारण जिले के अंतर्गत आता है।

पटना, बुधवार, 24 फरवरी, 2021
भास्कर

## गंगा तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाएं

**पटना सिटी।** पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर द्वारा गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर स्थायी निर्माण कार्य रोक लगाने मांग को लेकर एसडीओ को ज्ञापन सौंपा है। बताया है, कि गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी खतरा है।

पटना, 3 फरवरी, 2021 दैनिक जागरण

# गंगा किनारे अवैध निर्माण पर नोटिस

## केंद्र से जवाब तलब

- एनजीटी से याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती
- नौजार घाट से लेकर नूरपुर घाट तक बने हैं कई गैरकानूनी निर्माण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पटना में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पटना के रहने वाले अशोक कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 30 जून, 2020 को यह याचिका खारिज कर दी थी। सिन्हा ने एनजीटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि पटना में नौजार घाट से लेकर नूरपुर घाट तक पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील गंगा के बाढ़ क्षेत्र को अवैध कब्जा करके दबा लिया गया है। यह वह क्षेत्र है जहां हर साल बाढ़ आती है। गंगा के बाढ़ क्षेत्र में गैरकानूनी अवैध कब्जे और निर्माण किए गए हैं। बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न हो रहा है।

1/22/2/21

## तख्त श्री हरिमंदिर जी परिसर में बनेगा माता नानकी किचेन

# कंगन घाट पर 10 हजार छात्रों को पढ़ने के लिए बनेगा स्कूल

स्कूल के निर्माण की नींव रखते जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह व अन्य।

सिटी रिपोर्टर | पटना सिटी

कंगनघाट पर बुधवार को संतों ने 10 हजार विद्यार्थियों वाले विद्यालय की टक (आधारशिला) रखी। विद्यालय भवन वर्ष 2022 के प्रकाश पर्व तक तैयार किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इससे पहले श्री अखंड पाठ की समाप्ति श्रद्धा एवं भक्तिमय माहौल में हुआ। विश्व शांति, एकता अखंडता एवं सद्भावना के लिए जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह गौहर-ए-मस्कीन ने अरदास की। संतों में सचखंडवासी बाबा हरवंश सिंह दिल्ली वाले के कारसेवक बाबा बचन सिंह, प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह हित, बाबा सुखविंदर सिंह महासचिव सरदार महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन, सचिव सरदार महेंद्र सिंह छाबड़ा, सदस्यों में सरदार राजा सिंह, सरदार लखविंदर सिंह, हरवंश सिंह के अलावा सरदार चरणजीत सिंह, सरदार जीत सिंह, बाबा जसवीर सिंह बीराजी, आनंद मोहन झा, डॉ. बलदेव सिंह, बाबा गुरविंदर सिंह, दीपक लांबा, अधीक्षक दलजीत सिंह, प्रबंधक दिलीप सिंह पटेल, प्रशासक जग्गी सिंह समेत अन्य थे। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के लंगर घर की रसोई को आधुनिक बनाने की योजना है। महासचिव ने बताया कि माता नानकी किचेन की टक (आधारशिला) लंगर हॉल में रखी गई। यहां आधुनिक मशीन से एक लाख लोगों के लिए खाना बनाने के लिए ऑटोमेटिक मशीन लगाया जाएगा।

25/2/21

पटना
गुरुवार, २५ फरवरी, २०२१ आज

## शिलान्यास पर रोष

पटना सिटी ( आससे )। पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने प्रेस व्यान जारी कंगनघाट गुरूद्वारा के सटे गंगा बाढ़ क्षेत्र में अवैद्य शिलान्यास .पर रोष व्यक्त किया हैं। अपने प्रेस व्यान में श्री कपूर ने कहा कि गंगा तट के सरकारी नक़्से में कहीं भी गुरूद्वारा के नामों निशान तक नहीं हैं ऐसे में नीतीश सरकार गंगा तट के किनारे लीज पर गुरूद्वारा को जमीन देकर जमीन पर पक्का व स्थायी गुरूद्वारा बनवा दिया।

श्री कपूर ने कहा कि गंगा बाढ़ क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा कि अशोक कुमार सिन्हा ने सरकार के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर रोक की माँग की हैं जिसके बाद उसी जमीन पर अस्थायी की जगह स्थायी निर्माण करा दिया हैं।

पटना। बृहस्पतिवार • 25 फरवरी • 2021
राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.co

## लंगर घर की रसोई को आधुनिक बनाने के लिए लगाया गया टक

**मामला कंगनघाट गुरुद्वारा का**

**5000 छात्रों के पढ़ने के लिए बनाया जाएगा विद्यालय भवन**

**पटना सिटी (एसएनबी)।** बुधवार को कंगनघाट गुरुद्वारा में ग्रंथी कृपाल सिंह की देखरेख में रखे गये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 48 घंटे का अखंड पाठ समाप्त हो गया। पाठ की समाप्ति के बाद तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रण्जीत सिंह गौहर-ए-मस्कीन ने अरदास किया। भाई बिक्रम सिंह ने कीर्तन किया।

इसके बाद आयोजन में शामिल संत बाबा हरवंश सिंह कारसेवां वाले के अनुयायी संत बाबा बचन सिंह, बाबा जसबीर सिंह वीराजी, बाललीला गुरुद्वारा के बाबा सुखबिन्दर सिंह उर्फ सुख्खा बाबा, बाबा गुरबिंदर सिंह, प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अवतार सिंह हित, महासचिव सरदार महेन्द्र पाल सिंह ढ़िल्लन, सचिव महेन्द्र सिंह छाबड़ा, सदस्य राजा सिंह, हरवंश सिंह लखबिंदर सिंह की मौजूदगी में विद्यालय भवन निर्माण की नींव रखी गयी। कार्यक्रम के बाद संतों व कमेटी के जत्थां तख्त साहिब पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद जहां पर लंगर घर की रसोई को आधुनिक बनाने के लिए टक लगाया गया। इसके बाद सोलर लाइट सिस्टम के लिए टक लगाने का काम कराया गया। प्रबंधक कमिटी के अध्यक्ष व महासचिव ने बताया कि पांच हजार बच्चों के लिए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि माता नानकी रसोई का आधुनिकरण होगा। साथ ही, मार्च माह में ही रिहाइश व डिस्पेंशरी निर्माण की नींव रखी जायेगी। दूसरी ओर, पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने नींव रखने पर विरोध जताया है।

1/2/2/24

# पटना जिला सुधार समिति


**प्रधान जनसम्पर्क कार्यालय :**

मिरचाई गली, चौक, पटना सिटी–800 008 (बिहार), मोः09852186427

**राकेश कपूर**
महासचिव

निवास : हरिमंदिर गली, चौक
पटना सिटी, पटना–800008


सेवा में,

श्रीमान् मुख्य न्यायधीश महोदय
पटना उच्च न्यायालय
पटना-800001

विषय- गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा किये जा रहे स्थायी निर्माण पर रोक की मांग।

मान्यवर,

पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के मुताबिक पटना सिटी के नौजर घाट से लेकर नुरूद्दीगंज घाट तक गंगा के इस बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना पर उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश और इस समाचार के सूचना के बाद भी चिमनी घाट के तट पर स्थापित गुरूद्वारा के प्रबंधकों द्वारा बड़े पैमाने पर मिट्टी भराई कर योजना को मूर्त रूप देने के लिए दिनांक 24 फरवरी 2021 को स्कूल, सराय व लंगर हाल का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल भर में पूरा किया जायेगा।

शिलान्यास पर रोक लगाने की मांग के लिए मैंने अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को भी एक ज्ञापन दिया था। उन्होंने यह स्थल दूसरे जिले में रहने के कारण हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। लेकिन उन्होंने संबंधित जिला (सारण)को ज्ञापन अग्रसरित करने की बात कही।

यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो है ही साथ ही गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। गुरुद्वारा प्रबंधकों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए था।

इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में कई स्थाई निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। इस ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने के बाद भी यह जारी है। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका से ही उम्मीद बनती है। न्यायपालिका को स्वयं ही संज्ञान ले इसपर करवाई करनी चाहिए।

आपसे विनम्र आग्रह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में गंगा के बाढ़ क्षेत्रों स्थाई निर्माण पर अविलंब रोक लगाने की कृपा की जाय।

धन्यवाद!

विश्वासभाजन

02/03/2021

(राकेश कपूर)
महासचिव

नोट-संबंधित ज्ञापन व अखबारों की कटिंग की छाया प्रति संलग्न कर रहा हूँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ व अवलोकनार्थ
श्री मान् मुख्य न्यायाधीश,उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली

भारतीय डाक
India Post

EF445016275IN INR:4970450162
SP PATNA CITY SO <800008>
Counter No:2,02/03/2021,11:45
To:DELHI SUPRIM COURT ,/
PIN:110001, New Delhi GPO
From:RAKESH KAPOOR ,/
Wt:50gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EF445016267IN INR:4970450162
SP PATNA CITY SO <800008>
Counter No:2,02/03/2021,11:45
To:HIGH COURT ,/
PIN:800001, Patna GPO
From:RAKESH KAPOOR ,/
Wt:50gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70
<Track on www.indiapost.gov.in>

पटना
बुधवार, ३ मार्च, २०२१ आज

# बाढ़ क्षेत्र गंगा में अवैध निर्माण रोकने के लिए मुख्य न्यायाधीश से गुहार

पटना सिटी (आससे)। पटना जिला सुधार समिति के महासचिव

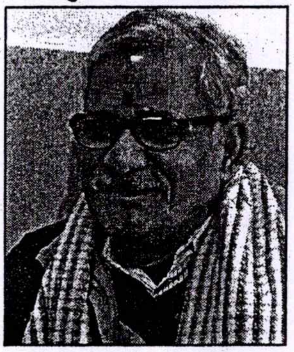

राकेश कपूर ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बाढ़ क्षेत्र गंगा में अवैद्य निर्माण रोकने की गुहार लगायी हैं। अपने पत्र में श्री कपूर ने कहा कि एक धर्म विशेष के लोग कार्यपालिका के इशारे पर प्राचीन चिमनीघाट का नाम हटाकर कंगन घाट बना दिया ।

श्री कपूर ने कहा कि गंगा तट की जमीन पर कंगनघाट गुरूद्वारा के सटे 24 फरवरी को स्कूल,सराय व लंगर हॉल की नींव रख दी गयी जबकि सिटी के रहने वाले अशोक कुमार सिन्हा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर नौजरघाट से नूरउद्दीनगंज घाट तक गंगा तट के अतिक्रमण की बात कहीं थी लेकिन याचिका को सरकार ने अनदेखी कर शिलान्यास की अनुमति दे दी हैं। उन्होंने कहा कि . चिमनी घाट पर कोई भी गुरूद्वारा सरकारी नक्सा में नहीं हैं।

श्री कपूर ने कहा कि यदि सरकार ध्यान नहीं दी तो चरणबंद्व आंदोलन चलाया जाएगा।

पटना। बुधवार • 3 मार्च • 2021
राष्ट्रीय सहारा www.rashtriyasahara.com

# गंगा किनारे निर्माण पर रोक के लिए सीजे को पत्र

**पटना।** पटना जिला सुधार समिति ने पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांग की है कि गंगा तट पर गंगा के बाढ़ क्षेत्र में चिमनी घाट पर एक धर्म विशेष व अन्य लोगों के द्वारा किये जा रहे स्थायी निर्माण पर रोक लगाई जाए। समिति के महासचिव राकेश कपूर ने पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ व अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को भी भेजी है। श्री कपूर ने पत्र में पिछले दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए बताया है कि पटना सिटी के नौजर घाट से लेकर नुरुद्दीगंज घाट तक गंगा के इस बाढ़ क्षेत्र में अवैध निर्माण की सूचना पर उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्चतम न्यायालय के इस आदेश और इस समाचार के सूचना के बाद भी चिमनी घाट के तट पर स्थापित गुरुद्वारा के प्रबंधकों द्वारा बड़े पैमाने पर मिट्टी भराई कर योजना को मूर्त रूप देने के लिए 24 फरवरी-2021 को स्कूल, सराय व लंगर हॉल का शिलान्यास किया गया है। इसका निर्माण कार्य साल भर में पूरा किया जायेगा। समिति ने शिलान्यास पर रोक लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को भी एक ज्ञापन दिया था। लेकिन उन्होंने यह स्थल दूसरे जिले में रहने के कारण हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अनुमंडल पदाधिकारी ने संबंधित जिला (सारण) को ज्ञापन अग्रसरित करने की बात कही। श्री कपूर ने कहा कि यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना तो है ही साथ ही गंगा के निकट निर्माण से पर्यावरण के लिए भी भारी खतरा है। गुरुद्वारा प्रबंधकों को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय को दिए जाने वाले उत्तर की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में गंगा के बाढ़ क्षेत्र में कई स्थाई निर्माण तेजी के साथ किया जा रहा है। इस ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के बाद भी निर्माण जारी है। ऐसे में सिर्फ न्यायपालिका से ही उम्मीद बनती है। पत्र में न्यायमूर्तियों से आग्रह किया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में गंगा के बाढ़ क्षेत्रों स्थाई निर्माण पर रोक लगाएं।

पटना। शुक्रवार • 5 मार्च • 2021
राष्ट्रीय सहारा

# 'सरकार को निष्पक्ष जांच रिपोर्ट दे बोर्ड'

**पटना सिटी।** गंगाघाट किनारे कंगनघाट गुरुद्वारा के समीप तख्त श्री हरिमंदिरजी प्रबंधक कमिटी द्वारा कराये जा रहे भवन निर्माण को लेकर पर्यावरण बोर्ड सचिव एस.चंद्रशेखर द्वारा जायजा लेने पर अपनी प्रक्रिया व्यक्त करते हुए पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आलोक में ही जायजा लिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित में निरीक्षण कर अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट सरकार को सौंपे ताकि पर्यावरण व गंगा नदी की रक्षा हो सके।